न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6 गाजियाबाद।

मूल वाद सं०–685/2020,
रीना बनाम महेशचन्द,
पंजीयन सं०–190/2020
CNR No.UPGZ01018301 2020

16–10–2020

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

वादी पक्ष की ओर से सूची कागज सं०–28ग के माध्यम से असल मुख्तारनामाखास रीना बहक श्री चाहत सिंह का० सं०–29ग/1–2 तथा पूरक शपथपत्र का०सं०–30ग/1–6 प्रस्तुत किए गए है।

प्रार्थनापत्र 6 ग के निस्तारण पर बल दिया गया।सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी मय शपथपत्र 7ग व 30 ग वादी पक्ष की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी पक्ष बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वादग्रस्त सम्पत्ति खाता सं०–185 खसरा सं० 604 रकबई 0–4410 है० बिना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देना चाहता है। यदि प्रतिवादी अपने अनुचित कार्य मे सफल हो गया तो वादी को अपार हानि होगी। अतः दौरान वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पारित किए जाने की प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादी या उससे सम्बन्धित कोई व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बंधक/गिरवी, विक्रय व अन्य संक्रमण न करे। सूची 9 ग के माध्यम से इकरारनामा महायदा बै, तौषी म्याद, नोटिस व प्रति हाजिरी प्रार्थनापत्र, जवाब नोटिस मय कागज सं०–10ग/1 लगायत 21ग प्रस्तुत किए गए है।

वाद के तथ्य, शपथपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजो को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रतिवादी पक्ष को बिना सुने एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का पर्याप्त आधार परिलक्षित नही होता है। अतः प्रतिवादी को नोटिस नियमानुसार बाद पैरवी जारी हो।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग दिनांक 28–10–2020 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–6 गाजियाबाद।

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2020.10.16 16:10:25 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court